राम लुभाया, आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव,
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

श्री आर.के. मीणा, आई. ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

क्रमांक :– F-21/NRHM/VHWSC/08/ 68 दिनांक :– 10-1-08

परिपत्र

विषय :–ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति के गठन तथा अनटाइड राशि के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश।

संदर्भ :–संयुक्त पत्र कमांक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एफ 21/एन.आर.एच.एम./वी. एच. डब्ल्यू. एस. सी./07/794 दिनांक 01.06.07, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 262 दिनांक 02.06.07

उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति" का गठन करने एवं इस समिति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अनटाइड फण्ड के उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। इन दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्राम स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता समिति" का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत संयुक्त रूप से किया जाना प्रस्तावित था।

इस संबंध में यह ध्यान में लाया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई समिति "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवाएं" का प्रावधान है, एवं अलग से "ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति" के गठन की आवश्यकता नही है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के अधीन "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा" नाम की स्थाई समिति में संलग्न दिशा–निर्देशानुसार अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जाये।

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटित अनटाइड राशि का व्यय संलग्न नवीन दिशा–निर्देशानुसार किया जावें।

पूर्व के दिशा–निर्देशानुसार जहां भी ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति का गठन हो चुका है, उन स्थानों पर नये दिशा–निर्देशानुसार परिवर्तन किया जाये। जिन स्थानों पर अभी तक समिति का गठन नही हुआ है, वहां पर पंचायतीराज संस्थाओं के

अन्तर्गत गठित स्वास्थ्य , परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति में नये दिशा–निर्देशानुसार अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित किया जाये। नामांकित किये गये सदस्य इस समिति के अतिरिक्त सदस्य होगें तथा यदि किसी मामले में बहुमत से निर्णय किया जाना हो तो समिति के स्थायी सदस्य ही मतदान करने के अधिकारी होगें।
संलग्न :– नवीन दिशा–निर्देश

(राम लुभाया)

(आर.के. मीणा)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
3. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
4. निजी सचिव–शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव–शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. निजी सचिव–शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. जिला कलेक्टर–समस्त जिले।
8. निदेशक–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
10. मुख्य अभियन्ता–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर, जोधपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
15. अभिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत ———।
16. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति तथा अनटाइड फण्ड के वितरण एवं उसकी उपयोगिता के लिये नये दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुये स्वास्थ्य सूचकांकों में वांछित परिवर्तन लाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य संस्थाओं के सुदृढीकरण के अलावा समुदाय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थाई समिति जो स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति के नाम से गठित की गई है, उसमें अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित कर उन्हें स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रशिक्षित कर सक्षम किया जायेगा। इन समितियों को 10 हजार रू की राशि अनटाइड राशि के रूप में आवंटित की जा रही है।

गठन

पंचायती राज संस्था द्वारा गठित "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" में अतिरिक्त सदस्यों का नामांकन –

1. गैर सरकारी संगठनों के सदस्य – 1 या 2
2. स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य – 1
3. ए.एन.एम. – 1
4. जनस्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि – 1
5. ग्राम पंचायत के तहत कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनी
6. स्वयं सहायता समूह महिला स्वास्थ्य समूहों के प्रतिनिधि – 1
7. जनमंगल जोडा – 2 सदस्य

समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। प्रत्येक ढाणी, धोरे से सदस्यता तथा अनूसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडे वर्गो से समुचित प्रतिनिधित्व सुनिशिचित किया जाये। इस समिति के गठन में कम से कम 30 प्रतिशत गैर–सरकारी सदस्य होने चाहिए।

पूर्व में ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति के गठन के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों में भी उपरोक्त सभी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। यदि आपके जिले में जहां भी ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति का गठन हो चुका है, तो उसमें उपरोक्त परिवर्तन किया जाये, तथा अन्य स्थानों पर पंचायती राज संस्थानों के अन्तर्गत गठित स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित किया जाये। नामांकित किये गये सदस्य इस समिति के अतिरिक्त सदस्य होगें तथा यदि किसी मामले में बहुमत से निर्णय किया जाना हो तो समिति के स्थायी सदस्य ही मतदान करने के अधिकारी होगें।

प्रशिक्षण

"स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" के सदस्यों का प्रशिक्षण–

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत समिति के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं, कार्यक्रमों, स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों एवं अन्य हितधारियों (Stake Holders) में ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में समझ विकसित की जायेगी। उन्हें ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने के लिये सक्षम बनाया जायेगा।

कार्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" के कार्य–

स्वास्थ्य की देखभाल के लिये समिति के कार्य निम्न प्रकार से हैः–

(क) सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जन–जन तक पहुंचाना तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिये प्रेरित करना।

(ख) ग्राम स्तर पर उपलब्ध सेवाओं का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना जैसे– सेवाओ की आवश्यकता, उपलब्धता, गुणवत्ता, पहुंच, स्वास्थ्य प्रदाताओं की उपस्थिति एवं उनका ग्रामीणों के प्रति व्यवहार आदि।

(ग) गांव के स्वास्थ्य स्तर का आंकलन करना जिसमें गांव में रहने वाले लोगों की संख्या, घरों की संख्या, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या, उनके धर्म एवं जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति, रहन–सहन, आदि के आधार पर एक नजरी नक्शा तैयार करना। इस नक्शे में साफ पानी के स्त्रोत, स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता, सड़क सम्पर्क एवं बिजली की दशा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को चिन्हित करना।

(घ) आपातकालीन प्रसव सेवाओं के लिये महिलाओं को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाने के लिये उपलब्ध साधनों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यकतानुसार व्यवस्था करना।

(ड़) सामान्यतः गांव में समय–समय पर होने वाली बीमारियों, उनके कारकों का आंकलन कर, स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करना।

(च) आंकलन के आधार पर स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर चर्चा कर स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये एक ग्राम स्वास्थ्य योजना का निर्माण करना। यह कार्य ए.एन.एम. तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी, विद्यालय में उपलब्ध आंकडे, जनसंवाद आदि के माध्यम से करना।

(छ) स्वास्थ्य मुद्दों एवं समस्याओं का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिये सुझाव देना। जैसे – ग्राम में प्रचलित रीति–रिवाज (बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि) , स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, परिवार कल्याण की सेवाओं से संबंधित समस्या इत्यादि।

(ज) आम जनों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों, बीमार, लम्बी बीमारी के इलाज के बारे में जानकारी देने हेतु एक स्वास्थ्य विवरणिका तथा बोर्ड तैयार करवाना तथा उसे उपयुक्त स्थान पर रखना/लगवाना।

बोर्ड पर अन्य जानकारी जैसे–ए.एन.एम. की सेवाएं गांव में उपलब्ध होने की तारीख, समय तथा स्थान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस का आयोजन, चिकित्सा शिविरों की जानकारी आदि समय–समय पर दर्ज करना।

(झ) सेवा प्रदाता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र समय पर सेवाएं उपलब्ध करा रहे है यह सुनिश्चित करना।

(ण) ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू., द्वारा किये गये कार्य की द्विमासिक समीक्षा करना।

(ट) गांव में होने वाली मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, अन्य असामायिक मृत्यु की चर्चा कर, उसके कारणों का पता करना तथा इस तरह की घटनाओं को रोकने तथा भविष्य में न हो इसके लिये प्रयास करना।

(ठ) स्वास्थ्य के लिये प्राप्त राशि का व्यय, गांव की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिये किस प्रकार किया जाये इसके लिये राशि का उचित प्रबंध करना।

वित्तीय व्यवस्था

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये वित्तीय व्यवस्था – स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण के तहत ग्राम पंचायत स्तर की स्वास्थ्य, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति को ग्रामीणो के स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्तमान में दो तरह के अनटाइड फण्ड का प्रावधान ग्राम स्तर पर किया गया है।

(अ) **प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिये अनटाइड राशि का प्रावधान** – राज्य के प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिये प्रतिवर्ष रूपये 10,000/– का प्रावधान किया गया है। इस अनटाइड फण्ड को सरपंच एवं ए.एन.एम. के नाम से खोले गये संयुक्त बैक खाते में जमा किया गया है। इसका उपयोग स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय स्तर पर दवाईयां अथवा उपकरणों की खरीद आदि के लिये किया जा रहा है। उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिये हस्तांतरित की गई अनटाइड राशि के उपयोग के लिये पूर्व में भिजवाये गये दिशा–निर्देश संलग्न किये जा रहे है।

(ब) **स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति को अनटाइड राशि**– उपस्वास्थ्य केन्द्रों के अनटाइड फण्ड के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वास्थ्य, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति को 10,000/– रूपये की राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जायेगी। इस राशि को भी उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिये आवंटित अनटाइड राशि के लिये खोले गये सरपंच एवं ए.एन.एम. के संयुक्त बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस राशि को राज्य स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति को भेजा जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति अपने जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र के संयुक्त खाते में 10,000/– रू की राशि प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से हस्तांतरित करेगी।

समिति की अनटाईड राशि का उपयोग

"स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" को हस्तांतरित अनटाइड राशि का उपयोग–

यह अनटाइड राशि ग्रामीणों के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के लिये है। इसका उपयोग समुदाय के स्वास्थ्य के उत्थान के लिये करना आवश्यक है। अनटाइड राशि के रूप में प्रतिवर्ष दी जाने वाली 10,000 रू की राशि का उपयोग निम्न कार्यो के लिये निम्न

प्रकार किया जाये। व्यय का समुचित विवरण बाउचर सहित रखना आवश्यक है, ताकि अंकेक्षण के समय उपलब्ध कराया जा सके।

1 ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य की गतिविधियों के लिये जैसे–स्वच्छता अभियान, विद्यालयों, आंगनबाडियों में स्वास्थ्य की गतिविधियां, परिवारों के सर्वेक्षण के लिये आदि। उक्त कार्यो हेतु आवश्यकता होने पर एक वर्ष में राशि रू 500/– तक खर्च की जा सकती है।

2 स्वास्थ्य सेवाओं की जागरूकताः– बोर्ड, बैनर, दीवार पर चित्रांकन, यातायात साधनों जैसे– जीप, ट्रेक्टर आदि पर लिखित स्वास्थ्य संदेश, स्वच्छता के लिये नारों का लेखन। उक्त कार्यो हेतु आवश्यकता होने पर एक वर्ष में राशि रू 500/– तक खर्च की जा सकती है।

3 असाधारण परिस्थितियों में अत्यन्त गरीब अथवा अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के इलाज हेतु ।

4. आपातकालीन परिस्थितियों में रोगियों को अस्पताल लेकर जाने के लिये वाहन व्यवस्था जैसे – सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, बिजली का झटका, जलना, अन्य दुर्घटनाएं जैसे – कुएं में गिरना, बच्चों का पेड से गिरना, आरा मशीन, थ्रेशर आदि से अंगुलियां, हाथ अथवा अन्य अंग कटना आदि।

5. प्राकृतिक आपदाये – जैसे बाढ़ , अकाल, भूकम्प जैसी स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल के लिये दवाइयां, ओ.आर.एस. व अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

6. आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, महिला समूहों के सदस्य, स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधियों में से किसी एक व्यक्ति को साल में एक बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिये पुरस्कार। (200 रू तक)

7. आंगनबाड़ी केन्द्र एवं विद्यालय में शौचालय न होने पर शौचालय निर्माण ।

8. हैडपम्प का चबूतरा एवं पानी के निस्तारण की व्यवस्था तथा पानी के सदुपयोग हेतु वृक्षारोपण।

9. पशुओं हेतु छोटी खेली निर्माण।

10. खुले मे शौच को रोकने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था।

11. मच्छरों की रोकथाम के लिये स्थाई समाधान एवं आवश्यकता पड़ने पर हेचरी निर्माण।

12. वातावरण की स्वच्छता हेतु गंदगी एवं कचरे के निस्तारण तथा गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था।

यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय इस समिति को स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य करने हेतु अतिरिक्त राशि का योगदान देता है तो वह राशि अनटाइड राशि के अतिरिक्त होगी तथा उसका उपयोग भी समुदाय की स्वास्थ्य जरूरतों के लिये किया जाये।

"स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार कर अनुमोदन किया जाये। अनटाइड राशि का उपयोग ग्राम स्वास्थ्य योजना की गतिविधियों पर समिति द्वारा अनुमोदित बजट अनुसार ही किया जाये। ग्राम स्वास्थ्य योजना के आधार पर अनटाइड राशि का वार्षिक बजट समिति में स्वीकृत कराया जाकर ही व्यय किया जाये।

उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु गुणात्मक दृष्टि से आवश्यकतानुसार राशि के व्यय हेतु योजना पूर्व में ही बनाना उचित होगा ताकि कुछ ही मदों में सम्पूर्ण राशि का व्यय ना हो।

लेखा जोखा

अनटाइड राशि का लेखा–जोखा – "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" के लिये आवंटित अनटाइड राशि को उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिये आवंटित अनटाइड राशि के लिये खोले गये सरपंच एवं ए.एन.एम. के संयुक्त बैंक खाते में जमा करना है। इस खाते को सरपंच तथा ए.एन.एम. द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। राशि का व्यय विवरण ए.एन.एम. द्वारा तैयार किया जायेगा।

ए.एन.एम. दो अलग–अलग रजिस्टरों में उपकेन्द्र हेतु आवंटित अनटाइड राशि तथा स्वास्थ्य, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति को आवंटित अनटाइड राशि का हिसाब रखेगी। राशि के व्यय का ब्यौरा हर माह ए.एन.एम. द्वारा प्रथम सप्ताह में आयोजित सेक्टर मीटिंग में सेक्टर के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित किया जाये। सेक्टर स्तर पर उस क्षेत्र की सभी ए.एन.एम. द्वारा प्राप्त व्यय के विवरण को संकलित कर जिले में हर माह की 08 तारीख तक भिजवाया जाये। जिला स्तर पर जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा इन सभी विवरणों को संकलित कर माह की 10 तारीख तक निदेशालय को भिजवाया जाये।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनटाइड राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र– हर वर्ष के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र ए.एन.एम. द्वारा तैयार कर सेक्टर स्तर पर आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया जाये। सेक्टर स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संकलित कर जिला स्तर पर दिनांक 10 फरवरी तक भेजा जाये। जिला स्तर से सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को दिनांक 15 फरवरी तक संकलित कर राज्य स्तर पर भेजा जाये। राज्य स्तर से इन उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के आधार पर राज्य का प्रमाण पत्र तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा। यह प्रमाण पत्र फोर्म जी.एफ.आर. 19 ए. प्रपत्र के रूप में सभी स्तरों पर तैयार किया जाये।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर ही आगामी वर्षो की राशि का आवंटन "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल प्रदाय एवं सामाजिक सेवा समिति" को किया जायेगा ।

28/12

(राम लुभाया)

(आर.के. मीणा)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ-20(एन.आर.एच.एम.)/2005/ 520 दिनांक : 8/7/05

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिलें

विषय : नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत "उपकेन्द्रों पर अनटाईड फण्ड योजना" का क्रियान्वयन व राशि का हस्तारण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत 10,000 रूपये वार्षिक प्रति उपकेन्द्रों के हिसाब से राशि उपलब्ध करवाई जा रही है (संलग्नक 'अ' अनुसार)। यह राशि अनटाईड फण्ड है जिससे उपकेन्द्र पर तत्कालीन आवश्यकताएं की पूर्ति की जाकर उपकेन्द्रों की कार्यशीलता व उपयोगिता में वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है। उक्त योजना वर्ष 2004-05 में खोले गये राज्य के 461 नये उपकेन्द्रों पर लागू नहीं होगी। अतः यह राज्य के 9926 स्वीकृत उपकेन्द्रों पर ही लागू है जिसकी जिलेवार संख्या संलग्नक 'अ' पर अंकित है।

योजना कि क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :-

1. 10,000 रूपये प्रति उपकेन्द्र पर अनटाईड फण्ड का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है :-

   (अ) लघु निर्माण कार्य, उपकेन्द्र भवन में सुधार कार्य, नल, बिजली फिटिंग आदि कार्य हेतु। यह कार्य उपकेन्द्र स्तर पर ही किये जा सकते है।

   (ब) उपकेन्द्र पर आवश्यक उपकरणों की जैसे बी.पी. मापकयंत्र, परीक्षण टेबल, वजन मापक यंत्र, लेबर टेबल, स्टूल, मेकनटांस व पर्दे आदि क्रय हेतु। जहां तक संभव हो तत्कालीन आवश्यकता वाले उपकरण एस.पी.ओ. दरों पर ही क्रय किये जावे।

   (स) रेफरल केन्द्र तक गंभीर केसों को ले जाने हेतु रेफरल सुविधा हेतु। रेफरल केन्द्र तक गंभीर केसों को ले जाने हेतु वाहन किराया दर प्रत्येक उपकेन्द्र की कार्य योजना में निर्धारित किया जावे तथा उसी अनुरूप व्यय किया जावे।

   (द) उपकेन्द्र भवन पर आई.ई.सी. हेतु वाल पेंटिंग जिसमें विभागीय योजनाओं का विवरण व जानकारी हो, के लिए।

   (य) आशा योजना के तहत कार्यकर्ताओं को पारितोषिक/बोनस देने हेतु।

   (र) उन गतिविधियों में जो कि ग्राम स्वास्थ्य समिति निर्धारित करे। परन्तु उन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य उपकेंद्रों की कार्यशीलता एवं सुदृढ़ीकरण में वृद्धि करना ही होना चाहिए।

   यह फण्ड किसी भी प्रकार के वेतन, वाहन क्रय, ग्राम पंचायतों सम्बन्धित किसी भी तरह के खर्चों व अन्य नियमित खर्चों आदि के उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।

2. उपरोक्त योजना की उपकेन्द्रवार कार्य योजना सम्बन्धित ए एन एम, सरपंच तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी के साथ तैयार करेंगें तथा ग्राम स्वास्थ्य समिति उसे अनुमोदित करेगी। उपकेन्द्र पर लघु निर्माण कार्य/भवन सुधार कार्य का

सकमीना उपकेन्द्र को ए एन एम, प्रा0 स्वा0 केन्द्र का चिकित्सा अधिकारी व पंचायतीराज के प्रतिनिधि मिलकर तैयार करेगें। यह भी निर्देश दिया जाता है कि ग्राम स्तर पर पंचायत राज की समितियां गठित की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य समिति भी एक है। अतः किसी उपकेन्द्रों पर समितियों का गठन नहीं हो तो तुरन्त गठन करवाया जावे। 186

3. राशि का स्थानान्तरण जिले द्वारा उपकेन्द्रों को किया जावेगा। इसलिये उपकेन्द्र का बचत खाता खुलवाया जाना आवश्यक है। बचत खाता ए एन एम व सरपंच के नाम से संयुक्त खुलवाया जाना है। यह खाता उसी बैंक में खुलवाया जावें जिसमें की ग्राम पंचायत का भी खाता है। बचत खातें में ए.एन एम द्वारा 1500 रूपये तक तथा सरपंच व ए एन एम द्वारा संयुक्त रूप से 1500 रूपये से अधिक राशि का आहरण हेतु अधिकृत होंगे। खाता खुलवाये जाने हेतु आवश्यक राशि ए एन एम द्वारा जमा करवायी जावेगी तथा जिले द्वारा उपकेन्द्र को 10000 रूपये हस्तान्तरण पर ए एन एम अपनी राशि वापिस निकाल लेवें। राशि का हिसाब हेतु ए एन एम एक रोकड़ रजिस्टर संधारित करें जिसमें राशि के लेन–देन, उपयोग व शेष राशि का हिसाब रखा जावें। इस रजिस्टर का प्रमाणीकरण हर तीन माह में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा किया जावे। बैंक की कैश बुक व पास बुक ए एन एम के पास ही रहेगी।

4. राशि का उपयोग होने पर या वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर जो भी अवधि पहले हो पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंकेक्षित व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

5. खातें तुरन्त खुलवाये जाने एवं योजना को तुरन्त लागू किये जाने हेतु अगर आवश्यकता हो तो विकास अधिकारियों की मदद ली जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि बचत खाते खुलने पश्चात् उपकेन्द्रों तक राशि का स्थानान्तरण व योजना क्रियान्वयन के निर्देश आपके अधिनस्थ प्रत्येक उपकेन्द्र पर तुरन्त भिजवाया जावे तथा उक्त कार्यवाही की प्रगति से दिनांक 14.08.2005 तक निदेशालय को अवगत कराये जावें।

6. जिले में योजना के क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।

(विकास एस. भाले)
निदेशक (आई.ई.सी.)
प्रभारी, एनआरएचएम

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलेक्टर को भेज कर अनुरोध है कि योजना को जिले में तुरन्त क्रियान्वयन सुनिश्चित कराई जावे एवं उपयुक्त दिशा–निर्देश भी अधिनस्थ पंचायतों को भिजवाने का श्रम करें

2. जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि राशि के हस्तान्तरण व उपयोग को सुनिश्चित करें एवं इसके पश्चात् जिला लेखा प्रबन्धक को अंकेक्षित व्यय विवरण भिजवाने में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग करना सुनिश्चित करें।

4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आई.ई.सी.)
प्रभारी, एनआरएचएम

187

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग जयपुर

क्रमांक–एफ 21 (32)/एन.आर.एच.एम/2005/711 दिनांक– 17-5-06

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक C/Oआर.सी.एच.ओ

विषयः– उपकेन्द्रों में अनटाइड फण्ड भेजने के सम्बन्ध में

सन्दर्भः– इस विभाग द्वारा भेजे गये उपरोक्त विषय से सम्बन्धित पत्र क्रमांक एफ 20/ एन.आर.एच.एम /2005 /520 दिनांक 8/07/05

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उपकेन्द्रों के लिए 10,000 रू राशि का प्रावधान अनटाइड फण्ड के रूप में किया गया है । इस हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र के नाम से सम्बन्धित ए.एन.एम और सरपंच के नाम से संयुक्त बैक खाता खुलवाकर राशि स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये थे ।

वर्ष 2006 –07 के लिये अनटाइड फण्ड की राशि भेजी जा रही है। यह राशि आपके जिले में केवल उन उमकेन्द्रों के लिए भेजी जा रही है जहॉ पर खाता खुलवाकर राशि स्थानांतरित की गई है। जिन उपकेन्द्रों के खाते अभी तक नही खुले है या खोलकर भी राशि स्थानातरित नही की गई है उन उपकेन्द्रों के लिए यह अनटाइड फण्ड नही भेजा जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के सभी उपकेन्द्रों के नाम से खाते उपरोक्त सन्दर्भित दिशा–निर्देशों के आधार पर खुलवाकर आपके पास वर्ष 2005–06 के लिए आवंटित राशि उन खातों में जमा करवाये। यदि समय पर यह खाते नही खुलवाये गये अथवा राशि स्थानातरित नही की गई तो उन उपकेन्द्रों के लिए अनटाइड फण्ड की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाना सम्भव नही होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी ।

अनटाइड फण्ड के उपयोग सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको दिये गये है। वर्ष 2005–06 में इस राशि का उपयोग मूलतः उपस्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण हेतु किया गया था। वर्ष 2006–07 में समस्त राज्य में ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य योजना बनाना प्रस्तावित है। अतः इस राशि का उपयोग

ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु किया जा सकता है। उदाहरणार्थ इन दिशा–निर्देशों के अलावा इस राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया जा सकता है।

- स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु जैसे– जाँच शिविरों का आयोजन आदि
- उप स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र में अचानक होने वाली बीमारी के प्रकोप के लिए दवा उपलब्ध न होने की स्थिति में तुरन्त दवाईया की व्यवस्था हेतु ।
- जिन उपकेन्द्रों में प्रसव सेवाएं उपलब्ध है वहाँ पर प्रसव के लिए आवश्यक दवाईयाँ अथवा उपकरणों के खरीद के लिए ।

उपकेन्द्र के लिए भेजी गई राशि आप द्वारा प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर उपकेन्द्र के खाते में जमा कर इसकी रिपोर्ट दिनांक 31.05.06 तक निदेशालय को प्रस्तुत की जाये।

शासन सचिव (प.क) एवं
मिशन निदेशक –एन.आर.एच.एम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

1 निजी सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव
2 निदेशक आई.ई.सी/जनस्वास्थ्य/ परिवार कल्याण /एड्स
3 समस्त संयुक्त निदेशक को प्रेषित है कि वह अपने – अपने क्षेत्र में उपकेन्द्रों के बैक में खाते खुलवाकर तथा राशि का स्थानांतरण सुनिश्चित करें तथा इसकी रिपोर्ट एकत्रित कर निदेशालय को भेजे ।

शासन सचिव (प.क) एवं
मिशन निदेशक –एन.आर.एच.एम